

अतिथि शिक्षक महामंडळाचायत-2023

अ.म. ॥ 25

परिशिष्ट-1

क्र.	घोषणा की जानकारी	कृत कार्यवाही
1	सी 2791 - अतिथि शिक्षकों को अलग-अलग कालखण्ड के हिसाब से दिये जा रहे मानदेय के स्थान पर मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को अधिकतम रु 9000/- के स्थान पर रु 18000/-, अतिथि शिक्षक वर्ग-2 को अधिकतम रु 7000/- के स्थान पर रु 14000/- एवं अतिथि शिक्षक वर्ग-3 को अधिकतम रु 5000/- के स्थान पर रु 10000/- प्रतिमाह मानदेय देय होगा।	अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय हेतु म.प्र. शासन के पत्र क्र/2032/1226/2022/20-2 दिनांक 29.09.2023 से आदेश जारी किया गया। घोषणा का पालन हो चुका है।
2	सी 2792 - अतिथि शिक्षकों के साथ अनुबन्ध पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये किया जाएगा।	अतिथि अध्यापन व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थायी स्वरूप की है। सामान्यतः रिक्त पदों पर एवं नियमित शिक्षकों के अवकाश पर जाने/स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की स्थिति में अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है।
3	सी 2793 - शिक्षकों को आगामी भर्तियों में 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।	भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। घोषणा का पालन हो चुका है।
4	सी 2794 - उच्च शिक्षा विभाग की भांति अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 20 अंक अनुभव के प्रदान किये जाएंगे।	अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किये गये कार्य के लिये अनुभव के अंक उनके स्कोर कार्ड में सत्र 2024-25 से प्रदान किये गये हैं। घोषणा का पालन हो चुका है।
5	सी 2795 - नियमित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह नियमित मानदेय प्रदाय किया जाएगा।	प्रतिमाह अतिथि शिक्षकों को नियमित मानदेय प्रदान करने हेतु म.प्र. शासन के पत्र क्र/2032/1226/2022/20-2 दिनांक 29.09.2023 से निर्देश जारी किए गए हैं। घोषणा का पालन हो चुका है।
6	सी 2796 - गुरुजी नियमितीकरण प्रक्रिया की तरह अतिथि शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाकर नियमित किये जाने की योजना बनाई जाए।	- वर्तमान में पात्रता परीक्षा एवं तदुपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है। - अतिथि शिक्षकों के लिये शिक्षकों की सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। रिक्त पदों की संख्या में सीधी भर्ती के पदों के साथ पदोन्नति के पदों की संख्या भी सम्मिलित होती है। - सीधी भर्ती के रिक्त समस्त पद पूर्व से ही विज्ञापित हैं तथा भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। सीधी भर्ती के रिक्त पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (बैक लॉग) के पद हैं। - प्राथमिक शिक्षकों को छोड़कर शेष में विषयमान से भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शैक्षणिक योग्यता के साथ व्यावसायिक योग्यता भी आवश्यक होती है। - अतिथि शिक्षक की व्यवस्था तात्कालिक है, जबकि सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर प्रवर्गवार की जाती है। आरक्षित प्रवर्ग के पदों पर अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक पात्रता परीक्षा अयोजन में कठिनाई है।

अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (प्रा.श.वि-1)
मंत्रालय, नोवाला

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

अतः 1125

परिशिष्ट-2

अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में होने वाले व्यय का विवरण।

क्र	मद का नाम	व्यय राशि
1	परिवहन व्यवस्था	35,76,819 / -
2	मंच व्यवस्था	6,14,619 / -
3	आवास, भोजन एवं अन्य व्यवस्था	32,61,131 / -
	कुल	74,52,569 / -


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश


अनुमानित अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (ग्रा.प्र.-1)
मंत्रालय, नोवादा